संख्या-05/2025/I/1188583/2025/11-4099**/31/2025**

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत **वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान** के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-वा0क0अधि0/बजट/2025-2026/पुर्नविनियोग/4425 /2025, दिनांक 31.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2040-800-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 01-वेतन में संभावित बचत से लेखाशीर्षक 2040-800-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 04-यात्रा व्यय में रू0 7.00 लाख, मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में रू0 15.00 लाख एवं मानक मद 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू0 8.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 30.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-800-04-**वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान** के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि कुल **रू0 15.00 लाख (रु0 पन्द्रह लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति **(संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसा**र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2040008000400 (वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	04 यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
2	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	49 चिकित्सा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
3	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
	कुल			**15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)**
महायोग				15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A011-20252026-1919386-3

विषय:- वाणिज्य कर अधिकरण अधिष्ठान की मानक मद 01-वेतन मद में उपलब्ध बचत में से मानक मद 04-यात्रा व्यय, मानक मद 49-चिकित्सा व्यय एवं मानक 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000400 (वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-)	01 (वेतन)	20,50,00,000 रुपये बीस करोड़ पचास लाख मात्र	1,20,00,000 रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	20,35,00,000 रुपये बीस करोड़ पैंतीस लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 30,00,000	₹ 15,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000400 (वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-)	04 (यात्रा व्यय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	2025-2026
089	2040008000400 (वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-)	49 (चिकित्सा व्यय)	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	2025-2026
089	2040008000400 (वाणिज्य कर	58 (आउट	1,10,00,000 रुपये एक	8,00,000 रुपये आठ	5,00,000 रुपये पाँच	1,15,00,000 रुपये एक	2025-2026
कुल				₹ 30,00,000	₹ 15,00,000		

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
	अधिकरण का अधिष्ठान-)	सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	करोड़ दस लाख मात्र	लाख मात्र	लाख मात्र	करोड़ पन्द्रह लाख मात्र	
कुल				₹ 30,00,000	₹ 15,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है-

मद संख्या-01-वेतन भद में वास्तविक व्यय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-2026 में लगभग रू0 250.00 (रू० दो करोड़ पचास लाख मात्र) की बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

मद सं०-04-यात्रा व्यय मद में शासन द्वारा रू० 10.00 (लाख रूपये में) की धनराशि प्राविधानित की गई है। न्यायिक / विभागीय सदस्य मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित की जाने वाली खण्डपीठों की अपीलों की सुनवाई हेतु राजकीय यात्रायें की जाती है, जिनके यात्रा देयकों के भुगतान हेतु रू० 7.00 (लाख रूपये में) की आवश्यकता है।

मद संख्या-49-चिकित्सा व्यध मद में रू० 30.00 (लाख रूपये में) की धनराशि प्राविधानित की गई है। माह गार्च-2026 तक रू० 15.00 (लाख रूपये में) की धनराशि और व्यय होने की सम्भावना है। वाणिज्य कर अधिकरण के अधिष्ठान के अन्तर्गत मुख्यालय एवं पीठ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लम्बित एवं आगामी माहों में प्राप्त होने वाले चिकित्सा देयकों के भुगतान हेतु रु० 15.00 (लाख रूपये में) की आवश्यकता है।

मद सं०-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में शासन द्वारा रू0 110.00 (लाख रूपये में) की धनराशि पुनर्विनियोग सहित प्राविधानित की गई है। वाणिज्य कर अधिकरण अधिष्ठान में सर्वश्री फ्लेमिंगो सीमेण्टेशन, 01 पतौरा काकोरी रोड, लखनऊ द्वारा 95 चतुर्थ श्रेणी आउट सोर्सिंग कर्मचारियों का दिनांक 01.12.2024 से दिनांक 11.11.2025 तक अनुबन्ध है, जिनका दिनांक 11.11.2025 तक भुगतान तथा मा० अध्यक्ष महोदय हेतु आवंटित स्टाफ कार हेतु उपलब्ध वाहन

चालक का माह फरवरी-2026 तक भुगतान किये जाने हेतु रू० 8.00 (लाख रूपये में) की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाना है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुवल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधो/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-195-E-9-157-X-2025-26-दिनांक: 23-12-2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

सिद्धार्थ श्रीवास्तव

अपर निदेशक वित्त।

संख्या : / , दिनांक- दिसंबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ/ जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9
7. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अरविन्द सिंह
उप सचिव।